न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : निशान्त जैन, आई0ई0एस0

राजस्व अपील सं. 47 / 2022

अपीलांट–	*बनाम*	रेस्पोडेंट–
नानगाराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी बेरडों की ढाणी बलाऊ तहसील व जिला बाड़मेर		तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 35 दिनांक 14.10.2021 जो तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री बांकाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से राजकीय अधिवक्ता अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 28.08.2024

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर द्वारा ग्राम बेरड़ो की ढाणी के खसरा नंबर 251 / 194 रकबा 63–00 बीघा किस्म बा0 सो0 में से 1–14 बीघा भूमि के समर्पण स्वीकृति आदेश दिनांक 14.10.2021 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा ग्राम बेरड़ो की ढाणी के खसरा नंबर 251 / 194 रकबा 63–00 बीघा भूमि के खातेदार नानगाराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी बेरड़ो की ढाणी बलाऊ, पटवार हल्का राणीगांव तहसील व जिला बाड़मेर ने दिनांक 14.10.2021 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर 1–14 बीघा भूमि बाबत मालिकाना अधिकारों को राज्य सरकार के पक्ष में [illegible] समर्पण करते हुए कब्जा छोड़ने का निवेदन किया [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 55 के अधीन [illegible] पत्र को स्वीका[illegible] जाकर समर्पित जमीन का राजस्व रेकर्ड में [illegible]लदरामद करवाने क[illegible]श फरमावें। खातेदार नानगाराम की पहचान हल्का पटवारी राणीगांव द्वारा की

Signature Not Verified
Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 18:46:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

गई एवं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि मौजा ग्राम बेरड़ो की ढाणी के खसरा नंबर 251/194 रकबा 63–00 बीघा भूमि खातेदार नानगाराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट की खातेदारी में दर्ज हैं जिन्होंने अपनी उक्त खातेदारी की भूमि में से 1–14 बीघा भूमि समर्पण का निवेदन किया है। उक्त भूमि खातेदार के नाम दर्ज है एवं किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं हैं तथा कोई वाद विचाराधीन नहीं है। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकार की सहमति के आधार प्रस्तुत समर्पण इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 35 दिनांक 14.10.2021 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त समर्पण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.07.2022 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट की ओर से उपस्थित अधिवक्ता को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 248/187, 258/209 में से 0–17 बीघा भूमि राज्य सरकार के पक्ष समर्पित कर भूमि में से आवागमन किया जा सके तथा तत्पश्चात अपीलकर्ता द्वारा समर्पित भूमि को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में आंवटन करवाते हुए राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज करवाना था, परन्तु अपीलकर्ता द्वारा उक्त समर्पित भूमि के संबंध में जो समर्पण विलेख के संलग्न नक्शा पटवार हल्का से तैयार करवाते समय पटवार हल्का द्वारा मानवीय भूल के कारण उपरोक्त दोनो खसरो के साथ खसरा नम्बर 251/194 का उल्लेख कर 1–14 बीघा भूमि गलत रूप प्रार्थना–पत्र में दर्शा दी गई। उक्त मानवीय भूल के कारण अपीलकर्ता की खसरा नम्बर 251/194 में अवस्थित ढाणीयां उक्त समर्पित भूमि में आ गई एवं भविष्य मे उक्त समर्पित भूमि किसी अन्य प्रयोजनार्थ आवंटित होती है तो अपीलकर्ता को अपनी ढाणीयां तथा आवंटित भूमि से हटानी पडेगी। अपीलकर्ता ग्रामीण [illegible] पढ़ना लिखना नहीं आता है एवं अंगुष्ठ निशान करता है [illegible] द्वारा दो खसरों में भूमि को समर्पित करने के दस्तावेज पटवार हल्का [illegible] मार्फत तैयार करवाये गये थे परन्तु खसरा नम्बर 251/194 का उल्लेख समर्पण विलेख में गलत रूप से

Signature Not Verified
Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 18:46:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

किये जाने से अपीलकर्ता के पक्के मकान एवं ढाणीयां ध्वस्त हो रहे है। अपीलाधीन आदेश अपीलकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर नही देने और भौतिक स्थिति को रेकर्ड पर लाये बिना ही एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। लिहाजा अपीलाधीन आदेश विधिनुरूप न होने से उक्त आदेश खारिज फरमाने योग्य है। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश खारिज फरमाया जावे।

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधिन्स्थ न्यायालय द्वारा न तो अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया और न ही समर्पित भूमि का मौका मुआयना किया और भौतिक स्थिति को रेकर्ड पर लाये बिना ही एकपक्षीय रूप से आदेश पारित किया है। इस पर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जाकर उक्त अपीलाधीन आदेश की नकलें प्राप्त की जो उन्हें दिनांक 18.07.2022 को प्राप्त हुई। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी होने से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अपील अन्दर मयाद दर्ज करने का एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने का निवेदन किया गया है।

6. हमने अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा ग्राम बेरड़ो की ढाणी के खसरा नंबर 251 / 194 रकबा 63–00 बीघा भूमि के खातेदारान नानगाराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी बेरड़ो की ढाणी बलाऊ, पटवार हल्का राणीगांव तहसील व जिला बाड़मेर ने दिनांक 14.10.2021 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर 1–14 बीघा भूमि बाबत मालिकाना अधिकारों को राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त समर्पण करते हुए कब्जा छोड़ने का निवेदन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 55 के अधीन समर्पण पत्र को स्वीकार किया जाकर समर्पित जमीन का राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करवाने का आदेश फरमावें। पक्षकारान की पहचान हनाय हल्का पटवारी राणीगांव द्वारा एवं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि मौजा ग्राम बेरड़ो की ढाणी के खसरा नंबर 251 / 194 रकबा 63–00 बीघा भूमि के खातेदारान नानगाराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट की हैं जिन्होंने [illegible] की भूमि में से 1–14 बीघा भूमि समर्पण का निवेदन किया है। उक्त भूमि खातेदारान के नाम दर्ज है एवं किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं हैं तथा कोई वाद विचाराधीन नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 18:46:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

है। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत समर्पण इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.10.2021 पारित किया गया। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अपीलांट के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 248/187, 258/209 में से 0–17 बीघा भूमि राज्य सरकार के पक्ष समर्पित कर भूमि में से आवागमन किया जा सके तथा तत्पश्चात अपीलकर्ता द्वारा समर्पित भूमि को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में आंवटन करवाते हुए राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज करवाना था, परन्तु अपीलकर्ता द्वारा उक्त समर्पित भूमि के संबंध में जो समर्पण विलेख के संलग्न नक्शा पटवार हल्का से तैयार करवाते समय पटवार हल्का द्वारा मानवीय भूल के कारण उपरोक्त दोनो खसरो के साथ खसरा नम्बर 251/194 का उल्लेख कर 1–14 बीघा भूमि गलत रूप प्रार्थना–पत्र में दर्शा दी गई। उक्त मानवीय भूल के कारण अपीलकर्ता की खसरा नम्बर 251/194 में अवस्थित ढाणीयां उक्त समर्पित भूमि में आ गई एवं भविष्य मे उक्त समर्पित भूमि किसी अन्य प्रयोजनार्थ आवंटित होती है तो अपीलकर्ता को अपनी ढाणीयां तथाकथित आवंटित भूमि से हटानी पडेगी। अपीलकर्ता ग्रामीण एवं अशिक्षित व्यक्ति है उसे पढना लिखना नहीं आता है एवं अंगुष्ठ निशान करता है अपीलकर्ता द्वारा दो खसरों में भूमि को समर्पित करने के दस्तावेज पटवार हल्का के मार्फत तैयार करवाये गये थे परन्तु खसरा नम्बर 251/194 का उल्लेख समर्पण विलेख में गलत रूप से किये जाने से अपीलकर्ता के पक्के मकान एवं ढाणीयां ध्वस्त हो रहे है। अपीलांट की ओर से यह स्वीकृत तथ्य हैं कि उसके द्वारा भूमि समर्पण की गई थी किन्तु उक्त समर्पण के प्रस्तावित रकबे पर उसकी रहवासीय ढाणियां आ जाने से भविष्य में विवाद होने की आशंका हैं। अपीलाधीन अभिलेख के अवलोकन से पाया जाता है कि उनके द्वारा विवादित भूमि बिना शर्त समर्पण की गई है एवं समर्पण हेतु प्रस्तावित तरमीम नक्शा पर भी अपनी सहमति के हस्ताक्षर अंगुष्ठ अंकित किये गये हैं। जब अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष अपीलांट द्वारा अपीलाधीन समर्पण पत्र पर सहमति से स्वंय अंगुठा/हस्ताक्षर कर स्वीकृति आवेदन किया गया हैं ऐसे में समर्पण आदेश की वैधानिकता में किसी प्रकार की कोई तथ्यात्मक या विधिक त्रुटि नहीं पाई जाती है। जहां तक समर्पण हेतु [illegible] भूमि के मध्य रहवासीय ढाणियां आ रही हैं, जैसाकि तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 12.03.2024 में उल्लेख किया गया है, तो इसके लिये अपीलांट पृथक से पैमाईश उपरांत तरमीम की कार्यवाही कर सकता हैं। इस प्रकार अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 18:46:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

खातेदारी भूमि में से 1–14 बीघा भूमि राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त समर्पित करते हुए कब्जा छोड़ना प्रकट किया है जिसके विरूद्ध अब प्रतिकूल कथन करने से अपीलांट विबंधित हैं तथा इस आधार पर अपीलांट की यह अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने से खारिज की जाती हैं। जहां तक समर्पण हेतु प्रस्तावित भूमि के मध्य रहवासीय ढाणियां आ रही हैं, तो इसके लिये अपीलांट पृथक से पैमाईश उपरांत तरमीम की कार्यवाही प्रस्तुत करें जिस पर तहसीलदार बाड़मेर नियमानुसार जांच उपरांत उचित निस्तारण करें।

8. निर्णय आज दिनांक 28.08.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(निशान्त जैन)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 18:46:20 IST
Reason: SelfAttested